

राजस्थान साइबर कैफे नियम, 2007

[राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ग)-1 दिनांक 23 अप्रैल, 2007 में प्रकाशित]

अधिसूचना सं. प. 5(92)/DoIT/Tech/99/Part-II/ML-178, दिनांक 18 अप्रैल, 2007,

जी.एस.आर.6- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान साइबर कैफे नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) “अधिनियम” से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) अभिप्रेत है;

(ख) “लॉग रजिस्टर” से साइबर कैफे या नेटवर्क सेवाओं का उपयोग करने के लिए साइबर कैफे स्वामी/नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा संधारित रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ग) “उपयोक्ता” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो साइबर कैफे में कम्प्यूटर का उपयोग करता है;

(घ) “साइबर कैफे” से वह परिसर अभिप्रेत है जहां साइबर कैफे स्वामी/नेटवर्क सेवा प्रदाता मनोविनोद या मनोरंजन सहित किसी भी प्रयोजन के लिए या तो संदाय पर या निःशुल्क, इंटरनेट की, इसके किसी भी रूप में जनता तक पहुंच को सम्मिलित करते हुए, कम्प्यूटर सेवाएं उपलब्ध करवाता है; और

(ङ.) “पुलिस प्राधिकारी” से वे पुलिस अधिकारी अभिप्रेत हैं जो पुलिस उप-अधीक्षक की रैंक से नीचे के न हों।

3. साइबर कैफे स्वामियों के उत्तरदायित्व- (1) साइबर कैफे का स्वामी पर्याप्त पूर्ववधान रखेगा ताकि साइबर कैफे में के कम्प्यूटर और कम्प्यूटर सिस्टम किसी अवैध या आपराधिक क्रियाकलाप में उपयोग नहीं लिये जा सकें।

(2) साइबर कैफे स्वामी/नेटवर्क सेवा प्रदाता अपने समक्ष किसी उपयोक्ता की पहचान स्थापित हुए बिना किसी उपयोक्ता को अपना कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम और/या कम्प्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना अनुज्ञात नहीं करेगा। इच्छुक उपयोक्ता, साइबर कैफे स्वामी के समाधान के लिए किसी विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी किये गये किसी फोटो पहचान पत्र या किसी बैंक के फोटो क्रेडिट कार्ड या पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या आय-कर प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र या चालन अनुज्ञित प्रस्तुत करके, अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा।

(3) उपयोक्ता की पहचान स्थापित होने के पश्चात, साइबर कैफे का स्वामी या प्रबंधक या परिचर या उसकी ओर से साइबर कैफे का प्रबंध कर रहा कोई प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक उपयोक्ता के लिए लॉग रजिस्टर में निम्नलिखित सूचना अभिप्राप्त और संधारित करेगा:

- (i) उपयोक्ता का नाम
- (ii) उपयोक्ता की आयु और लिंग
- (iii) प्रस्तुत पहचान का सबूत और इसके ब्यौरे/संख्यांक
- (iv) उपयोक्ता का वर्तमान निवासीय पता
- (v) प्रयुक्त कम्प्यूटर का आईपी पता
- (vi) नेटवर्क सेवा प्रदाता का नाम
- (vii) लॉग-इन समय
- (viii) लॉग-आउट समय
- (ix) वेबकैम के माध्यम से साइबर कैफे स्वामी द्वारा लिया गया उपयोक्ता का फोटो
- (x) उपयोक्ता का हस्ताक्षर।

(4) साइबर कैफे स्वामी/नेटवर्क सेवा प्रदाता पहचान के सबूत की फोटोप्रति अभिलेख पर रखेगा।

(5) साइबर कैफे में समस्त कम्प्यूटर सुरक्षा साफ्टवेयर से सुसज्जित होंगे ताकि अश्लील साहित्य, अश्लीलता, आतंकवाद और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों से संबंधित वेबसाइटों तक पहुंच से बचा जा सके।

(6) साइबर कैफे में समस्त समय घड़ियों की नियमित रूप से जांच की जायेगी और भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ समय मिलाया जायेगा।

(7) बताये अनुसार उपयोक्ता का समुचित विवरण संधारित करना साइबर कैफे स्वामी/नेटवर्क सेवा प्रदाता का उत्तरदायित्व होगा।

(8) लॉग रजिस्टर और उपयोक्ता का फोटो न्यूनतम एक वर्ष की कालावधि के लिए साइबर कैफे स्वामी/नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा संधारित किया जायेगा और विधि प्रवर्तन अभिकरणों को, जैसा और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध करवाया जायेगा।

(9) साइबर कैफे स्वामी निम्नलिखित लॉग का बैकअप कम से कम छह मास के लिए अंडारित और संधारित करने के लिए उत्तरदायी होगा:

(क) प्रॉक्सी लॉग

(ख) नेटवर्क साफ्टवेयर द्वारा सृजित कोई अन्य लॉग, यदि कोई हो।

(10) यदि आगंतुक/उपयोक्ता का कोई क्रियाकलाप संदिग्ध प्रकृति का हो तो साइबर कैफे का स्वामी तुरंत निकटतम पुलिस थाने को सूचित करेगा।

4. साइबर कैफे का निरीक्षण.- (1) पुलिस प्राधिकारी, इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त युक्तियुक्त समय पर साइबर कैफे का निरीक्षण कर सकेंगे।

(2) यदि कोई साइबर कैफे स्वामी/नेटवर्क सेवा प्रदाता लॉग रजिस्टर और अभिलेखों को संधारित करने में विफल रहता है तो वह अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित शास्त्रियों के लिए दायी होगा।